सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 62/17 **निर्णय दिनांकः–3.04.2018**

1. रामधन पुत्र जीराम जाति जाट निवासी राधा छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
2. जसवन्त सिंह पुत्र श्री रामधन जाति जाट निवासी राधा छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
3. रतनसिंह पुत्र रामधन जाति जाट निवासी राधा छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
4. प्रेमप्रकाश पुत्र श्री रामधन जाति जाट निवासी राधा छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 19–05–2017
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः
1. श्री रिशाल सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के निर्णय दिनांक 19–05–2017 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट का वाद विधि विरूद्व तरीके से खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस

न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खरीदशुदा कृषि भूमि वाके गांव आडसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ की रोही में खसरा नम्बर 126 तादादी 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 127 तादादी 9.93 हेक्टर, खसरा नम्बर 334 तादादी 6.21 हेक्टर भूमि स्थिति है। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 126 व 127 में 1/2 हिस्सा अपीलांट संख्या 1 एवं 1/2 हिस्सा अपीलांट संख्या 2 व तीन के नाम से तथा खसरा नम्बर 334 अपीलांट संख्या 1 के नाम से है। उक्त सम्पूर्ण भूमि अपीलांट के संयुक्त रूप से कब्जा काश्त व उपभोग में है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के खरीद के समय जरिये पंजीकृत बैयनामा के आधार पर नामान्तरणकरण दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर तत्समय हल्का पटवारी द्वारा समस्त भूमि नाम कर दी गई थी।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट की उक्त खरीदशुदा भूमि से समीप ही पुराना खसरा नम्बर 147 व नया खसरा नम्बर 127 तादादी 9.93 हेक्टर के उत्तरी तरफ गोचर भूमि जोड़ पायतान है। जिसका पुराना खसरा नम्बर 146 नया खसरा नम्बर 121 है। अपीलांट्स की भूमि पुराना खसरा नम्बर 147 जिसके नये खसरा नम्बर 127 है तथा गोचर जोड़पायतान पुराना खसरा नम्बर 146 जिसके नये खसरा नम्बर 121 के बीच की सींव काफी पुरानी व मजबूत पहले से बनी हुई है। अपीलांट्स द्वारा उक्त सींव से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अपीलांट् के पास दिनांक 04—02—2002 को एक नोटिस अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट भेजा गया जिसमें अंकित किया गया कि आपने खसरा नम्बर 146 की 11 बीघा भूमि पर चना काश्त कर लिया है। उक्त नोटिस का जवाब अपीलांट्स द्वारा दिनांक 18—02—2002 को देते हुए कथन किया

गया कि उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है जबकि अपीलांट्स की गैर—मोजूदगी में हल्का पटवारी द्वारा बदमाश व्यक्तियों के साथ मिलकर खसरा नम्बर 146 व 147 के बीच की सींव को तोड़कर नष्ट कर दिया गया तथा अपीलांट के खसरा नम्बर 147 की 17 बीघा भूमि को खसरा नम्बर 146 में मिला दिया गया तथा कीकर के पेड़ लगा दिये गये।

अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर उक्त कार्यवाही का लिखित में विरोध किया गया कि हमें जोड़ पायतान की भूमि नहीं चाहिए तथा हमारी क्यशुदा भूमि पूरी चाहिए। किन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलांट्स द्वारा वादगत् भूमि की पेमाईश हेतु निर्धारित राशि भी जमा करवा दी गई किन्तु अदालत मातहत द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। तत्पश्चात् अपीलांट्स द्वारा अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु अदालत मातहत के समक्ष वाद संस्थित किया गया। जिस पर पॉच वर्षो तक रेस्पोडेन्ट का कोई जवाब नहीं लिया गया। तत्पश्चात् आनन—फानन में जवाब लेकर अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन वाद में न्यायिक प्रक्रिया का पालन किये बिना मात्र सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया गया है जिसके अवलोकन मात्र से यह तथ्य पुष्ट होता है। नियमानुसार अदालत मातहत को रेस्पोडेन्ट का जवाब लेकर वादगत् भूमि के बाबत् नियमानुसार तनकीयात कायम करते हुए उनकी विवेचना करते हुए व वादी/अपीलांट की साक्ष्य लेकर दोनों पक्षों की तर्क—बहस सुनने के पश्चात् प्रकरण का विनिश्चय विस्तृत उल्लेखन करते हुए किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करते हुए विधि के आज्ञापक प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंधन किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे प्रकरण में विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए अपीलांट को सुनवाई, साक्ष्य व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का तनकीवार निस्तारण करें।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेन्ट द्वारा नियमानुसार जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था। उक्त जवाब दावें में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि अपीलांट/वादीगण के खेत खसरा नम्बर 127 तादादी 9.93 हेक्टर भूमि रोही आड़सर तहसील श्रीडूँगरगढ़ से किसी भी प्रकार से 17 बीघा भूमि से बेदखल नहीं किया गया है व पुराने खसरा नम्बर 121 में वादीगण की कोई भूमि शामिल नहीं है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार उनके समक्ष जैरकार वाद में स्टेट का जवाब लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का पुराने खसरा नम्बर 146 जिसके नये खसरा नम्बर 121 बने है में कोई भूमि शामिल नहीं है ऐसी स्थिति में वादीगण/अपीलांट्स की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इसी आधार पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/वादीगण का वाद खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यक नहीं है। अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188, 183 के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19—05—20117 जिसके द्वारा अपीलांट/वादी का दावा अदालत मातहत विधि विरूद्व व बिना प्रक्रिया अपनायें खारिज किया गया है के विरुद्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत को नियमानुसार वाद के संबंध में तनकीयात् कायम करते हुए, साक्ष्य व सबूत प्राप्त करते हुए तनकीवार/साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है ना की सरसरी तौर पर आदेश पारित

किया जाना चाहिए था। जैसा की प्रकरण में अदालत मातहत नहीं किया गया।

(3) हमने अदालत मातहत की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अपीलांट/वादी ने वादगत् भूमि वाके गांव आडसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ की रोही में खसरा नम्बर 126 तादादी 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 127 तादादी 9.93 हेक्टर, खसरा नम्बर 334 तादादी 6.21 हेक्टर भूमि स्थिति है। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 126 व 127 में 1/2 हिस्सा अपीलांट संख्या 1 एवं 1/2 हिस्सा अपीलांट संख्या 2 व तीन के नाम से तथा खसरा नम्बर 334 अपीलांट संख्या 1 के नाम से है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वाद इस आश्य का प्रस्तुत किया गया था कि उसके द्वारा किसी प्रकार से जोड़पायतान की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा वे अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज काश्त है।

(4) प्रस्तुत मामलें में वादीगण द्वारा दिनांक 23–05–2011 को एक प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष इस आश्य का प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थी की खरीदशुदा उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा नहीं है तथा मेरी खरीदशुदा भूमि आस–पास के खेतों में दबी हुई है। अतः वादीगण की खरीदशुदा भूमि खेत खसरा नम्बर 126 तादादी 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 127 तादादी 9.93 हेक्टर कुल तादादी 9.94 हेक्टर व खसरा नम्बर 334 तादादी 6.21 हेक्टर का सीमांकन करवाया जाकर मेरी खातेदारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जावे। वादीगण के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 23–05–2011 को ही तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेशित किया जा चुका था कि प्रार्थी/वादीगण से शुल्क जमा करवा कर सीमाज्ञान टीम से करावें।

(5) प्रस्तुत मामलें में उक्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष उनकी पत्रावली में उपलब्ध थे। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे उक्त प्रार्थना पर दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए वादीगण से निर्धारित शुल्क जमा करवाते हुए टीम गठित करते हुए पक्षकारों की

उपस्थिति में वादगत् भूमि का सीमांकन करवाते। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि की वास्तविक स्थिति स्वमेव उभर कर सामने आ जाती। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए मात्र औपचारिकता पूर्ण आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

(6) प्रकरण में वादीगण स्वयं इस कथन के साथ अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हुए है कि वादगत् भूमि का सीमांकन करवाया जावे ताकि वस्तुस्थिति सामने आ सके। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा न तो वादगत् भूमि का सीमांकन करवाया गया ना ही उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत व विधिक नियमों के विपरीत पारित किये गये आदेश की श्रेणी का परिलक्षित होता है। लिहाजा आदेश जैर अपील पुष्टि योग्य आदेश नहीं माना जा सकता।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—05—2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादीगण द्वारा दिनांक 23—05—2011 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 3.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर